

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3 उपखंड I(i)।  
में दिनांक 6 दिसम्बर, 1993 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
[राजस्व विभाग]  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 1993

अध्यातुषना  
आव-कर

काठ आठ [अ] - आवकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 10 के खंड [23-डी] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार स्तद्वारा (1) इंडियन बैंक, जो बैंकिंग कंपनी [उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण] अधिनियम, 1970 [1970 का 5] की धारा 3 के अन्तर्गत संस्थापित एक तदनुसारी नया बैंक है, द्वारा दिनांक 27 जून, 1993 के एक न्यात वित्तलेख के अन्तर्गत स्थापित किए गए "इण्ड बैंक ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड" को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एक म्युचुअल फण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

20/12/93  
[ चाई के 0 बहरा ]  
अवर सचिव, भारत सरकार

फाठ सं 133/132/93-टी 0 पी 0 स्त 0

सं 9424